...courtis/kiosk/#

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

नियमित जमानत आवेदन संख्या 1057 / 2026

10.06.2026

आवेदक **जयंत कुमार** की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक दिनांक 13.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदक को **हेमजापुर थाना काण्ड संख्या 14 / 2026 अन्तर्गत धारा 25 (1–बी) ए / 26 (1) (2) / 35 आर्म्स एक्ट** के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार सिंह एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक स0 अ0 नि0 राजीव रंजन वर्तमान हेमजापुर थाना में पदस्थापित हूँ। आज दिनांक 13.02.2026 को समय 22:00 बजे गृहरक्षक सिपाही 12341 कैलाशपती यादव एवं गृरक्षक सिपाही 431643 रोहीत कुमार यादव के साथ सरकारी वाहन से आवश्यक लेखन सामाग्री के साथ रात्री गस्ती में थाना से प्रस्थान किया था समय करीब 22:05 बजे डायल 112 पर कॉल आया की शिवकुण्ड कुर्मी टोला में गोली चल रही है। इसकी सूचना मुझे डायल 112 के पदाधिकारी स0 अ0 नि0 शिवपुजन प्रसाद के द्वारा देते हुए सहोयग हेतु साथ चलने का आग्रह किये इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी महोदय को देते हुये ग्राम शिवकुण्ड कुर्मी टोला के लिए डायल 112 के साथ प्रस्थान किया समय करीब 22:20 बजे शिवकुण्ड कुर्मी टोला पहुचा तो देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथ में दोनाली बन्दुक लिए सड़क पर खड़ा था। जिसे बल के सहयोग से घेरे में लेकर नाम पता पूछा तो अपना नाम जयंत कुमार बताया। फायरींग का कारण पुछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिये। बंदुक रखने से संबंधीत कागजात की मॉग करने पर बताए की इस बन्दुक से संबंधित मेरे पास कोई कागजात नहीं है। ततपश्चात स्वतंत्र साक्षी का खोजबीन किया परंतु कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला एसी स्थिती में अपने साथ के गृरक्षक सिपाही 12341 कैलाशपती यादव एवं गृरक्षक सिपाही 431643 रोहीत कुमार यादव को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए विधिवत जमा तलासी देते एवं लेते हुए सरकारी हथियार एवं मोबाईल के आलावे कुछ नही पाया तत्पश्चात घेरे में लिए गये व्यक्ति का विधिवत तलासी लिया तो उनके दाहीने हाथ में दोनाली बंदुक उनके हाथ से लेकर देखा तो उसके एक नाल में (01) एक जिन्दा कारतुस फसा हुआ था तो उक्त कारतुस को बाहर निकाल कर देखा तो लाल रंग का जिसके पेंदे पर के0 एफ0 12, 92 अंकित पाया गया, तत्पश्चात पहने हुए ग्रे रंग का फुल जैकेट के दाहिने पॉकेट से (06) छः जिन्दा कारतुस जो क्रमशः (03) तीन अजला रंग का कारतुस जिके पेंदे पर शक्तिमान 12 एक्सप्रेस अंकित पाया एवं (03) तीन लाल रंग का कारतुस पाया जिसके पेंदे पर क्रमशः 01. के0 एफ0 12, 98 अंकित पाया 02. के0 एफ0 12, 92 अंकित पाया 03. यू0 आर0 एस0 एच0 ओ0 टी0 12 एक्सप्रेस अंकित पाया बॉए पॉकेट से (03) तीन खोखा बरामद हुआ। जिसके पेंदे पर शक्तिमान 12 एक्सप्रेस

10.06.26

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
नियमित जमानत आवेदन संख्या 1057 / 2
जमानत आदेश दिनांक 10.06.2026

लगातार

10.06.2026

अंकित पाया कुल जिन्दा कारतुस (07) सात एवं खोखा (03) तीन तथा एक दो नाली बंदुक बरामद हुआ। जिस दोनाली बंदुक को हाथ के अंगुली से नापने पर बट की लम्बा करीब 15 अंगुल, बॉडी की लम्बाई, करीब 26 अंगुल, एवं बैरल की लम्बाई करीब 32 आंगुल पाया गया सम्पूर्ण लम्बाई करीब 73 अंगुल पाया। एवं बट पर विश्वकर्मा भगवान का फोटो लगा हुआ है तथा बन्दुक में काले रंग का सिलिंग लगा हुआ जिसे विधिवत जप्तिसूची तैयार कर आर्म्स एवं एमुनेसन का जप्त किया। जिसपर दोनों स्वतंत्र साक्षी सही लिखापाकर अपने रस्वेच्छा से अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिये तत्पश्चात पकडाये व्यक्ति को जप्तिसूची की एक प्रति हस्तगत कराया एवं उनका अपराध बताते उहुए विधिवत गिरफतारी प्रपत्र तैयार कर गिरफतार किया तथा गिरफतारी की सूचना इनके परिजन को दिया तथा इस घटना का सग्रहीत साक्ष्य मेरे मोबाइल ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड किया गया है जिसका एस0 आई0 डी0 नं0 2712104311054493 है तत्पश्चात जप्त प्रदर्श एवं गिरफतार व्यक्ति को साथ लेकर दल–बल के साथ थाना के लिए प्रस्थान किया तथा वापस थाना आया। अवैध शस्त्र रखना एवं उपयोग करना एक संज्ञेय अपराध है। अतः, श्रीमान् से अनुरोध है कि अवैध आग्नेयास्त्र गोली एवं खोखा के साथ गिरफतार व्यक्ति जयन्त कुमार के विरूद्ध कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाय।

10.06.26

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में कोई नियमित जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय व मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक दिनांक 15.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध केवल एक केस धरहरा थाना काण्ड संख्या 143 / 2001 लंबित है। प्राथमिकी में ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि आवेदक के घर से या उसके सामने से बरामदगी की गयी है और आवेदक के कब्जे से किसी भी प्रकार के जप्त सामान की बरामदगी नहीं की गयी है। जप्ती सूची में गवाह पुलिस वाले हैं और अनुसंधानक के द्वारा आरोपपत्र समर्पित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में, आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाय।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त जयंत कुमार दिनांक 14.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा दिनांक 10.04.2026 को अनुसंधानकर्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 25 (1–बी) ए / 26 (1) (2) / 35 आर्म्स एक्ट में आरोपपत्र समर्पित किया गया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका 21 में केवल वर्ष 2001 में एक आपराधिक इतिहास आर्म्स एक्ट का पाया गया है और अनुसंधान बंद कर दिया गया।